

[Shri Y.S. Chowdary]

proper maintenance. If the Centre declares some State roads as National Highways, the burden on the State will be reduced to some extent.

I, therefore, urge upon the Central Government to declare fourteen State Highways as National Highways as requested by the Andhra Pradesh Government.

**Demand for providing vaccine to combat Japanese  
Encephalitis in Gorakhpur region**

**श्रीमती कनक लता सिंह** (उत्तर प्रदेश): महोदय, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मण्डल और बिहार के कुछ जनपदों में लगभग तीन दशक से जापानी बुखार, इन्सेफिलाइटिस बीमारी से हजारों लोगों की असमय मौत हो चुकी है और इससे कहीं अधिक लोग विकलांग हुए हैं। यह बीमारी अब देश के तकरीबन 17 राज्यों में फैल चुकी है।

इसका प्रकोप सबसे ज्यादा मानसून के समय होता है। यह समय धान की रोपाई का होता है तथा इससे धान की पैदावार करने वाले किसान और खेतिहर मजदूर प्रभावित होते हैं। ये लोग गरीब होते हैं और आर्थिक तंगी के कारण इलाज कराने में पूरी तरह समर्थ नहीं होते हैं। पूर्वांचल में इस बीमारी की भयावहता का अंदाजा बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर के आंकड़ों से लगाया जा सकता है, जहां इसमें प्रति वर्ष वृद्धि दर्ज हुई है।

राष्ट्रीय वासरोलॉजी संस्थान, पुणे द्वारा इसके निदान के लिए अक्टूबर, 2013 में एक देशी टीका विकसित किया गया था, जिसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक अन्य संस्थान को स्थानान्तरित किया गया है। इसे एक वर्ष पूरा होने वाला है। इस एक वर्ष के शोध में क्या कामयाबी मिली है? यह टीका प्रयोग लायक कब तक होगा? इसे कब तक मरीजों को दिए जाने का लक्ष्य है? क्या सरकार वर्षों शोध के नाम पर इस देशी टीके को मरीजों की पहुँच से दूर रखना चाहती है? सरकार की मंशा क्या है? इस देशी और सस्ते टीके को कहीं इसलिए तो उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है क्योंकि इसके आने के बाद विदेशी और आयातित दवाओं की कम्पनियों का गोरखधंधा बन्द हो जाएगा?

मेरी मांग है कि सरकार देश में फैले जापानी बुखार से निपटने के लिए तत्काल गोरखपुर मेडिकल कॉलेज सहित देश के विभिन्न राज्यों में, जहां इस बीमारी का प्रकोप है, उक्त टीके को प्रयोग लायक बनवाकर अविलम्ब मरीजों तक निःशुल्क पहुँचाने हेतु कदम उठाए, जिससे मरीजों की जान बच सके।

**Demand for increasing the number of notaries in the  
State of Tamil Nadu**

**SHRI PAUL MANOJ PANDIAN** (Tamil Nadu): Sir, in order to empower the Central and State Governments to appoint notaries, not only for the limited purposes of the Negotiable Instruments Act, but generally for all recognised notarial purposes and to regulate the profession of such notaries, the 'Notaries Act, 1952' (Central Act 53 of 1952) has been enacted by the Government of India.